राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक – ई–18/एम/जोन–भरतपुर/2019/ दिनांक

आदेश

श्री विष्णु कुमार, कनिष्ठ सहायक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को स्वयंपाठी के रूप में मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीए प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष परीक्षा की कार्योत्तर स्वीकृति तथा बीए तृतीय वर्ष 2019 परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही व कर्मचारी को चेतावनी के साथ निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है कि वह भविष्य में समय पर परीक्षा की विभागीय अनुमति के प्रकरण भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो स्वीकृती स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृती संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरण हो जाता है तो स्वीकृती स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी /कर्मचारी को किसी संस्था विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नही मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्यसंपादन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जावेगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणों से लोकहित/राज्य हित में स्वीकृति/अनुमति बिना कोई सूचना के निरस्त की जा सकती है।
11. राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
12. अर्जित योग्यता के आधार पर विभाग किसी प्रकार का लाभ का पद देने हेतु बाध्य नहीं होगा।
13. इन्हे केवल परीक्षा दिवस का ही अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जायेगा।
14. राज्य सेवा में कोई व्यवधान ना हो।

नोट : उक्त कार्मिक यदि संविदा/समेकित वेतन पर कार्यरत है तो यह आदेश लागू नहीं होगा।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :– ई–18/एम/जोन–भरतपुर/2019/1731 दिनांक : 06/03/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही।
2. श्री विष्णु कुमार, कनिष्ठ सहायक को उनके प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सूचनार्थ।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
4. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर